

14

Form-I
(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No. *Memo - 2 / 2014*

Dated *19.12.2014*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.747 hectares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Lohari talli-Silli-Band-Kansyari motor road in Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Loharli, Silli, Band and Kansyari** Village in **Garur Tehsil**. It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.747 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3 (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**)
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;----- (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**)
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclose – as above

Signature

Dated *19.12.2014*

B.S. Manral
(Bijpal Singh Manral,)
District Collector
Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -सिल्ली
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है 0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है 0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.747 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ सरथा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिल्ली द्वारा दिनांक 20-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत सिल्ली (तोक कनेडी एवं सिल्ली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

लोहारी (कृषि) Date: 20-8-17 श्रीमान
वन अधिकारी कनेडी विभाग
पो.०८०/विभाग गरुड़ (बागेश्वर)
ग्राम प्रधान

ग्राम विकास विभाग अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव (मंत्री)
विभाग-गरुड़ (बागेश्वर)

उत्तराखण्ड

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक ३०-८-२०१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-सिल्ली, तोक-सिल्ली

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री गोपेश्वर चन्द्र पाटे	(गोपेश्वर)
2-	श्रीमती रुमिका पाटे	मीमांसा पाटे
3.	श्री नवीन चन्द्र देवधर	Naveen
4-	श्री नवीन चन्द्र चोलान्न	नवीन चोलान्न
5-	श्रीमती कमला दुर्वि	मीमांसा देवी
6.	श्रीमती बाला देवी	मुकेश देवी
7-	श्री मुकेश नेहरी	Mukesh
८.	श्री कौलधर चन्द्र जोधा	कौलधर
९.	श्री रमेश्वर चन्द्र नेहरी	Rameshwar
१०	श्री नवीन चोलान्न दुर्वि	नवीन चोलान्न
११-	श्री विश्वामित्र चन्द्र दुर्वि	विश्वामित्र
१२.	श्रीमती अमरना दुर्वि	मामा अमरना
१३.	श्रीमती आलती देवी	आलती देवी
१५	श्रीमती लाला पाटे	लाला पाटे
१५-	श्री राजेश्वर चोलान्न	राजेश्वर

सिल्ली
सिल्ली

वर्तमान दिनांक
नं।/नि.०८.२०१७ तोक (वाराणसी)

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 20-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-सिल्ली, तोक-कनेडी

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	श्रीमती आनन्दी देवी	आनन्दी देवी
2 -	श्री कदन मेहन टाटा	कदन मेहन टाटा
3 -	श्री फलक शर्मा	फलक शर्मा
4 -	श्री राजेन्द्र शर्मा	राजेन्द्र शर्मा
5 -	श्री चुवन शर्मा	चुवन शर्मा
6 -	श्री लालित शर्मा	लालित शर्मा
7 -	मोहन शर्मा	मोहन शर्मा
8 -	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा	लक्ष्मी शर्मा
9 -	श्री फलक देवी	फलक देवी

नानी बाबू खालिया
हरबंध

मन धैर्यापूर्व तिलमी कनेडी
नाम/दिन/मही/वर्ष (पांचों अंक)

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -दुदिला
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है 0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है 0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.747 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संरथा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुदिला द्वारा दिनांक 21-8-2017 को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत दुदिला (तोक दुदिला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी:
ग्राम पंचायत विवर (टीएस)
वि.सू.0-गरुड़ (बागेश्वर)
उन्नाखण्ड

विभागीय
प्रधान हॉर्न
ग्राम पंचायत दुदिला ग्राम प्रधान
जिला गरुड़ (बागेश्वर)

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 21-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-दुदिला, तोक-दुदिला

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	लिहिन राम	Ram
२	दीरालाल	Dilal
३	दिनेश राम	Dinesh Ram
४	झुकुर राम	Jhukur Ram
५	पंचीश खलाह	Panchesh Khalah
६	आनन्द छलाह	Anand Chalaah
७	ल्याली राम	Liyalee Ram
८	प्रभो झुकार	Prabhu Jukar
९	झुन राम	Jhun Ram
१०	न-दी देवी	N-Dee Devi

लिहिन राम
प्रधान

ग्राम पंचायत दुदिला
विध खड गलड (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -अमोली
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है 0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है 0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अमोली द्वारा दिनांक 21-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत अमोली (तोक अमोली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

पांचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अमोली
विठ्ठल-गरुड़ (जागेश्वर)
उत्तराखण्ड

—दिग्जेश्वर
इधान ह०/
ग्राम पंचायत अमोली
लिठठ०-गरुड़, जिला-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 21-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-अमोली, तोक-अमोली

क्र० सं	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	इच्छेन्द्र शम्भु पुत्र विशनशम्भ (व.म.)	इच्छेन्द्र शम्भ
2-	जगदीश शम्भु पुत्र अमर राम (व.म.)	जगदीश शम्भु
3-	आशुनी देवी ८१० मोहन शम्भ	आशुनी देवी
4-	विशनशम्भ शुभ दीवान राम	विशनशम्भ काम
5-	हंसी देवी ८१० गोविन्द मोहनी (व.म.)	हंसी हेनी
6-	पावती देवी ८१० हेमचंद्र (व.म.)	पावती देवी
7-	दिनेशचंद्र ८१० देवीदत्त	दिनेशचंद्र
८-	नन्द किशोर ८१० गोपाल राम	नन्द किशोर
९-	कालीशम्भ शुभ लक्ष्मीशम्भ	काली शम्भ
१०-	मोहन राम शुभ खात राम	मोहन राम

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -मटेना.
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन निर्माण भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संरक्षा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मटेना द्वारा दिनांक 22.8.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत मटेना (तोक मटेना एवं सेलखोला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास औद्योगिक
ग्राम पंचायत मटेना
100x0-गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

श.लूलारेधी
प्रधान

ग्राम पंचायत मटेना 30/
विहार ख0 गरुड़ (बागेश्वर) न

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निषी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 22-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-मटेना, तोक-मटेना

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	लोहारी बाल	
२	लोहारी लोदी	
३	लोहारी लोहारी	
४	लोहारी-बण्ड-कनस्यारी	
५	लोहारी लोहारी	
६	लोहारी लोहारी	
७	लोहारी लोहारी	
८	लोहारी लोहारी	
९	लोहारी लोहारी	
१०	लोहारी लोहारी	
११	लोहारी लोहारी	
१२	लोहारी लोहारी	
१३	लोहारी लोहारी	
१४	लोहारी लोहारी	
१५	लोहारी लोहारी	

प्रशान्त
ग्राम पंचायत मटेना
विधायक चार्चा गरुड़ (बागेश्वर)

1.6
प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 22-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-मटेना, तोक-सोलखोला

क्र० सं	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	जगदीश चड्हायाल	जगदीश
२	नवीन चड्हु	नवीनचड्हु
३	धोक्ट दाता काठपाल	धोक्ट
४	कालीदह दिवा	कालीदह
५	अमित अमौज जोशी	अमित अमौज
६	मोगेश चड्हु खोड़ी	मोगेश चड्हु
७	मुरगा चड्हा नामा	मुरगा चड्हा
८	— चड्हा चड्हु	चड्हा चड्हु
९	मुक्ता चड्हु	मुक्ता चड्हु
१०	गोपाल दाता	गोपाल दाता
११	मुक्ता दाता काठपाल	मुक्ता दाता
१२	माटा चड्हु	माटा चड्हु
१३	दिवेंद्र ओवामा	दिवेंद्र
१४	काली चड्हा	काली चड्हा

२१ अगस्त २०१७
प्रधान

ग्राम पंचायत मटेना
विं रु० गरुड (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —जिनखोला
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र


जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है० आरक्षित वन भूमि 1.747 है० सिविल सोयम भूमि 0.000 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जिनखोला द्वारा दिनांक 23-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत जिनखोला (तोक डोपा एवं जिनखोला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम सभाविकायने जि. गरुड़...
वि०४०. ए०, बागेश्वर।
उत्तराखण्ड


पूर्वान्
ह०/ ग्राम पंचायत जिनखोला
तै भू गरुड़ जनपद - ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित रामिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 23-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-जिनखोला, तोक-जिनखोला

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री भक्तानीराम ८/० पनीराम	भक्तानीराम
2.	श्री शंकर राम ८/० किलानराम	शंकर राम
3.	श्री दानीराम ८/० तिलराम	दानीराम
4.	" दीक्षानराम ८/० नाथराम	दीक्षानराम
5.	" लक्ष्मीराम ८/० धनराम	लक्ष्मीराम
6.	" दुर्दीराम ८/० दुर्दीराम	दुर्दीराम
7.	" इलालूराम ८/० इलालूराम	इलालूराम
8.	" राजनराम ८/० राजनराम	राजनराम
9.	" वलवलासिंह ८/० लगतराम	वलवलासिंह
10.	" चौटकाला अडवी ८/० संगतराम	चौटकाला
11.	" अनंतराम ८/० औरवनसिंह	अनंतराम
12.	" दुर्दीरामसिंह ८/० दुर्दीराम	दुर्दीरामसिंह
13.	श्रीमती दीर्घादेवी ८/० गोपालाचाहू	गोपालाचाहू
14.	श्री गोपलसिंह ८/० दिवानसिंह	दिवानसिंह
15.	" ओमरामसिंह ८/० कुम्दनसिंह	ओमरामसिंह
16.	" वण्डुरसिंह ८/० दीपानसिंह	वण्डुरसिंह
17.	" रामनसिंह ८/० लोहमीसिंह	रामनसिंह

निर्माण
पद्धति

ग्राम पंचायत जिनखोला,
ने इस ग्रामपाल जनपद - बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -बण्ड
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बण्ड द्वारा दिनांक 23-8-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बण्ड (तोक बण्ड एवं पन्याली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव...
वि0ख0-गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

संरचना
वन पंचायत बण्ड पन्याली
वि. ला. गरुड़ देवनगर
द्वारा

ग्राम पंचायत बण्ड, गरुड़ (बागेश्वर)
वि0ख0-गरुड़ (बागेश्वर)
ह0/
ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6
प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 23-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-बण्ड, तोक-बण्ड

क्र०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
सं०		
1-	श्री अंकुर नाथ सिंह	<i>Arjun</i>
2-	श्री नन्दललिट विठ्ठल	नन्दललिट
3-	श्री केशव ठिक्की	केशव ठिक्की
4-	वदाइलाली घोड़ा	वदाइलाली घोड़ा
5-	कुल	कुल
6-	छोड़लिंग	छोड़लिंग
7-	अमरता ठिक्की	अमरता ठिक्की
8-	वल्लभ ठिक्की	वल्लभ ठिक्की
9-	लिलाली	लिलाली
10-	जगद्दीपा ठिक्की	जगद्दीपा ठिक्की
11-	आनन्द साह	आनन्द साह
12-	शंख ठिक्की	शंख ठिक्की
13-	पूरना ठिक्की	पूरना ठिक्की
14-	लक्ष्मा ठिक्की	लक्ष्मा ठिक्की
15-	नीना ठिक्की	नीना ठिक्की
16-	कु-देवी	कु-देवी
17-	पान ठिक्की	पान ठिक्की
18-	यमा ठिक्की	यमा ठिक्की

प्रधान *[Signature]*
ग्राम पंचायत - बण्ड, तोक-बण्ड^{प्रधान}
विधायक वर्ष 2017 (प्रधान)

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 23-8-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-बण्ड, तोक-पन्याली

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री द. कीर्तनम आर्य १०८ वर्चुराम	E. Kirtan Ary
2.	दीपान राम १०८ वर्चुराम	Dipan Ram
3.	महेन्द्र भाट	Mahanand Bhat
4.	मधुसुख तुला	Madhushukh Tula
5.	दीपन तुला	Deepan Tula
6.	भुपेन्द्र पुस्ताद	Bhupendar Pustada
7.	छिंड तुला	Chind Tula
8.	दीपा राम	Deepa Ram
9.	श्री राम	Shri Ram
10.	दीपा राम	Deepa Ram
11.	रमेश राम	Ramesh Ram
12.	राजन राम	Rajan Ram

परियोजना का नाम:-राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली
सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन
भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बापुड़ कन्स्यारी
तहसील बन्ड जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 हेतु 0.00 आरक्षित वन भूमि 1.747 हेतु रिविल सोयम भूमि 0.00 हेतु वन पत्तायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संसद के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रलगवर्तीत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में दाग पंचायत बापुड़ द्वारा दिनांक 16-12-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की हेठल में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के तम्कथ में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत घर्षा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधिकों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी ग्राम आदिवासी नहीं उठाना / कृषि कर्ता है या नहीं। * तात्परिक उपरागिता वाल सात किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अधदा और आदिवासी का कब्जा, कृषि कर्ता नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर सामवंशियों के परम्परागत अधिकारों का हानि नहीं हो रहा है।

घर्षा के उपरान्त ग्राम सभा उपरान्त सभा से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बापुड़ के अधिवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं गही है

हो/
ग्राम सचिव

ग्राम सचिव का दावा

बापुड़ का दावा

(बापुड़ ग्राम परियोजना)

उत्तराखण्ड

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की जिजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवर उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्राप्त उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राम हस्तान्तरण बापुड़ पोर्ट-बालोरीगाँव
विभाग प्रधान द्वारा, जिला - बागेश्वर

दिनांक 16-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत २०७५

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दग्धीराम अमृता, श्रीवेंकोरम	दग्धीराम
2.	आनन्दसिंह डॉ श्री दिलोह रेट्टु	आनन्दसिंह
3.	शंकरसिंह डॉ. श्री बुच्चीसिंह	शंकरसिंह
4.	मेहेन्द्र सिंह डॉ. श्री जगलाम	मेहेन्द्र सिंह
5	नलासुद डॉ. श्री जगलाम	नलासुद
6.	रम सिंह डॉ. श्री जगलाम	रम सिंह
7.	जितान सिंह डॉ. श्री जगलाम	जितान सिंह
8.	देवासुद डॉ. श्री जोधलाम	देवासुद
9.	जितान सुद डॉ. श्री जुधसिंह	जितान सुद
10.	पूर्ण सिंह डॉ. जपोतासुद	पूर्ण सिंह
11.	रमसिंह डॉ. श्री जमलाम	रमसिंह
12.	माधव सिंह डॉ. रामसिंह	माधव सिंह
13.	दीरामाम ८/ श्री दीराम	दीरामाम
14-	दीरामाम ८/ श्री दीराम	दीरामाम
15.	नलासुद डॉ. मानोदाम	नलासुद
16-	पूर्ण राम डॉ. अमृतराम	पूर्ण राम
17-	दुलाल सुमेत श्री नलाम	दुलाल सुमेत
18.	पलाक रेट्टु डॉ. श्री मद्दाम, तिळोकालेश्वर	पलाक रेट्टु
19	मेहेन्द्र सुमेत डॉ. श्री नलाम	मेहेन्द्र सुमेत
20.	शंकरदत्त डॉ. दुर्माला	शंकरदत्त
(१)	छोब लाल डॉ. नलाम	छोब लाल
(२२)	तेजसिंह लोही डॉ. लंदूराम	तेजसिंह लोही
(२३)	केशवरामेश्वर डॉ. नरसिंह	केशवरामेश्वर

परियोजना का नाम:-राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति—गरुड़

उपखण्ड गरुड़ परिषेत्र के अन्तर्गत लाहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है० आक्षित वनभूमि 1.747 है० सिविल सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 1.747 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरुड़ की दिनांक 19.12.2014 को सम्बन्ध बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी०एस०डोभाल, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, गरुड़ की व्यवस्था में आयोजित श्री गंधी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमानुसार है।

1-	श्री सी०एस०डोभाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री खड़क सिंह रावत	सहायक रामाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	ज्ञ० छन्द राम	वी०डी०र्सी० द्वोज	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तीन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गरुड परिषेत्र के अन्तर्गत लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-
कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 हैं। वन भूमि लोक निर्माण विभाग
(प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने
पर सहमति व्यक्त की गयी।

१६० । १०।१२।२०।६,

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड
जनपद बागेश्वर

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1— जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2— प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3— जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4— जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक १७-१२-२०१५ को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड के प्रमाण पत्र दिनांक १७-१२-२०१५ द्वारा लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:-राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली
सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन
भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 हेक्टर वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरुड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लभित नहीं है।

दिनांक / १२.१२.२०१५



(भूपाल सिंह मनसाराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर

मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन विछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायगा।

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रभाषण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित लोहारी तल्ली-सिल्ली-बन्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 हेक्टेएक्टर वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/ 98-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

दिनांक / १२.२.२०१४

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
जिला बागेश्वर (R)
गुजरात